

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

शिक्षक

बनाम जयि तहसीलदार रावतभाटा

किस्म मुकदमा प्रथमा पत्र

नं० 111/2022 सन्.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुए
09/10/2024 मुकदमा नं० 111/2022	<p>पत्रावली पैसा हुई। उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकील प्राधी द्वारा निवेदन किया कि पत्रावली में कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं चाहते हैं। अतः प्रथमा - पत्र में वादी/प्राधी की ओर से कोई कार्यवाही नहीं चाहने से पत्रावली इसी स्तर पर विद्वी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर शामिल दफ्तर हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)</p>	